

Form No-III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् धर्मप्रीत सिंह आदि बनाम भजन कौर मुकदम्मा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीएक्ट वाद संख्या 101/2023

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
12.11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उक्त अनवानी पत्रावली के संलग्न मूल वाद में दिनांक 12.11.2024 को निर्णय पारित किया जाकर मूल वाद खारिज किया जा चुका है। मूल वाद खारिज/निस्तारित होने के कारण उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आदिनांक 12.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	




उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

